मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 214/2025

1. संदीप कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. दलीप कुमार पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. शंकुतला देवी पुत्री हनुमान पत्नी सुभाष राम जाति बिश्नोई साकिन सहनिवाल तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :– 28/10/2025

वादीगण की ओर से श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की **धारा 88** के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 119/108 के प.नं. 3/316 (48) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 2.530 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदारी पूर्ववत् ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested